कार्यालय नगर निगम, पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली–मारवाड़, पिनकोड–306401)
(टेली–फेक्सः–02932–221301, ई–मेल cmcpali@yahoo.com, बेब–साईट mcpali.com,)

कमाक / प.18( )अग्नि / 2024 / 4452 — दिनाक :– 7.12.2024

–: अनापति प्रमाण पत्र :–

प्रेषित :– विनायक लैन्ड एण्ड डेवलपर्स आदिनाथ कॉम्पलेक्स न्यु आबादी वार्ड न.35 सादडी जिला पाली
विषय :– अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
प्रसंग :– आपके पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विनायक लैन्ड एण्ड डेवलपर्स आदिनाथ कॉम्पलेक्स न्यु आबादी वार्ड न.35 सादडी जिला पाली के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा हेतू बिल्डीग में लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एवं चालू हालत में पाये गये आवश्यकता पड़ने पर इन अग्निशमन यंत्रों को उपयोग में लिया जा सकता है। उक्त प्लांट को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबन्द करते हुए यह अनापति प्रमाण जारी किया जाता है।

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापति प्रमण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. बिल्डीग के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. बिल्डीग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयावधि में रिफिलिंग करवाने होगें।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतू 24X7 घण्टे फॉयर प्रशिक्षण कर्मचारी रखना होगें।
7. बिल्डीग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू हालत) नही पाये जाने की स्थिति मे यह अभिषंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. यदि राज्य सरकारी / परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम / उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. बिल्डीग में पानी का टेंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
11. बिल्डीग में साईन (सिंगल) बोर्ड लगाने होगे।
12. बिल्डीग मे आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा।
13. बिल्डीग में वाहनों को रखने के लिये पार्किग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डीग के व्यवस्थापक द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास,आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 2020 पार्ट दिनांक 14.10.2023 व नेशनल बिल्डीग कोड 2002 / 2016 एंव नगर पालिका अधिनियम के तहत् नियमो की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी।
15. बिल्डीग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
16. बिल्डीग में आपात सेवाओं के दूरभाष नम्बर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
17. व्यवस्थापक द्वारा प्लांट के प्रस्तुत दस्वतावेज एव बिंल्डीग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी / परिषद् द्वारा / अग्निशमन अधिकारी से अनुमती लेनी होगी।
18. बिल्डीग के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशिल पदार्थ नही रखा जावे
19. बिल्डीग मे रोप लेडर व दो रस्सा बिल्डीग के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय बिल्डीग में रखाना होगा।
20. भूमि व बिल्डीग संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा ।
21. प्रस्तावित विनायक लैन्ड एण्ड डेवलपर्स आदिनाथ कॉम्पलेक्स न्यु आबादी वार्ड न.35 सादडी जिला पाली को बिन्दु संख्या 1 से 20 तक पालना करनी होगी

सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम पाली

सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, पाली